IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA Civil Writ Jurisdiction Case No.4375 of 2022

Kashish Developers Limited, Registered Office at 87 Old AG Colony, Kadru, Ranchi, Jharkhand - 834002, Local Address at - 201, Kamla Sadan Apartment, Punai Chak, District - Patna, through its Director Mukesh Kumar, aged about 45 years, Gender - Male, Son of Sri Mukut Prasad Rao, Resident of 171, Mushahari, Bijbaniya, P.S. - Lauriya, West Champaran, District - West Champaran.

... ... Petitioner/s

1. The State of Bihar, through the Principal Chief Commissioner, State Tax, Bihar, Patna.

Versus

2. The Chief Commissioner, State Tax, Bihar, Patna.

3. The Joint Commissioner (In-Charge), State Tax, Patna Central Circle, Patna.

- 4. The Deputy Commissioner, State Tax, Patna Central Circle, Patna.
- 5. The Assistant Commissioner, State Tax, Patna Central Circle, Patna.
- 6. The Deputy Accountant Genera, AMG-4, Patna.

... ... Respondent/s

Appearance :		
For the Petitioner/s	:	Mr. Ranjeet Kumar, Advocate
For the Respondent/s	:	Mr. Vivek Prasad (GP-7)

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE

HONOURABLE MR. JUSTICE PARTHA SARTHY ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

COL

6 21-07-2023

The writ petition is dismissed as withdrawn at the

request of the learned counsel for the petitioner leaving liberty

to approach alternate forums with just exceptions and subject to

limitation.

and

(K. Vinod Chandran, CJ)

(Partha Sarthy, J)

sharun/-U

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या 4375/2022

कशिश डेवलपर्स लि०, रजि० ऑफिस 87 पुरानी कॉलोनी, कादरु रांची, झारखण्ड-834002, स्थानीय पता-201 कमला सदन अपार्टमेंट, पुनाईचक, जिला-पटना, निर्देशन-मुकेश कुमार, 45 वर्ष, पुरुष, पिता-मुकुट प्रसाद राज, पता-171 मुसहरी बिजबनिया, थाना-लौरिया, पश्चिमी चम्पारण, जिला-पश्चिमी चंपारण के माध्यम से ।

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम्

- 1. बिहार राज्य, प्रधान मुख्य आयुक्त, राज्य कर, बिहार, पटना के माध्यम से।
- 2. मुख्य आयुक्त, राज्य कर, बिहार, पटना।
- 3. संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), राज्य कर, पटना मध्य क्षेत्र, पटना।
- 4. उपायुक्त, राज्य कर, पटना मध्य क्षेत्र, पटना।
- 5. सहायक आयुक्त, राज्य कर, पटना मध्य क्षेत्र, पटना।
- 6. उप लेखाकार, ए. एम. जी.-4, पटना।

..... उत्तरदाता/उत्तरदातागण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तओं के लिए: श्री रंजीत कुमार, अधिवक्ता प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री विवेक प्रसाद (जीपी-7) कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा

माननीय नयायमूर्ति पार्थ सारथी

मौखिक आदेश

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

6 21.07.23

रिट याचिका को याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के अनुरोध पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ अपवादों और सीमा के अधीन वैकल्पिक मंचों से संपर्क करने की स्वतंत्रता छोड़ दी जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायामूर्ति)

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।